कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2021–22 / 3102 दिनांक :– 16/03/22

निमित्त,

Vice President,
Indraprastha Gas Limited,
GA Head-Ajmer,Pali,Rajasmand
IGL Bhawan Plot No 4, Community Centre
R.K. Puram, Sector-9 New Delhi 110022

विषयः– "Laying of Under ground of 8"/12" Dia Carbon Steel Gas Pipeline Along the NH-8 Road Within the Existing Row from Tapping Point NH-8 Jaipur -Ajmer-Bypass Tiraha at Gagwana to Mangliyawas Tapping Point (Length 35.00 Km)in District-Ajmer(Rajasthan) by Indraprastha Gas Limited.".Diversion of land 3.50ha. FP/RJ/Pipeline/ 147451/2021

संदर्भः– भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी–राज009 / 2022–JPR दिनांक 07.03.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण मे उच्च कार्यालय द्वारा भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी–राज009 / 2022–JPR दिनांक 07.03.2022 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है । अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग–अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी–राज009 / 2022–JPR दिनांक 07.03.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत 10.0 हैक्टर डीएफएल वनखण्ड मण्डावरिया रक्षित मे वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव करने हेतु राशि 1736661/–	1736661/-	कुल राशि रू. 5088891/– को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावें।
2	शर्त बिन्दु संख्या 3 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दर अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार है:–3.50 ha. x 957780 = 3352230/-	3352230/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग राशि	**5088891.00**	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी ने. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओ की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति मे प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर